

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

कार्यसूची

षष्ठम् सत्र

वीरवार, 5 सितम्बर, 2024/14 भाद्रपद, 1946(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित :

- | | | |
|-----------------|---|------------------------------------------------------------------------|
| (i) स्थगित | } | पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे। |
| (ii) दिन के लिए | | |

(2) अतारांकित :

- | | | |
|------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| दिन के लिए | } | पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे। |
| | | |

2. कागजात सभा पटल पर रखें जाएंगे:

- (1) श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी, ग्रुप-बी, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्या: पब-ए(3)-7/2019, दिनांक 27.03.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 29.04.2024 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।
- (2) श्री चन्द्र कुमार, कृषि मन्त्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, निदेशक, कृषि, ग्रुप-ए, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्या: एग्र0-ए-बी(7)-2/2024 (लूज), दिनांक 29.08.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.08.2024 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।
- (3) श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, प्रवक्ता, शारीरिक शिक्षा विद्यालय-नई व्यवस्था, ग्रुप-बी, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्या: ई0डी0एन0-ख(7)-2/2019-1, दिनांक 27.07.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.07.2024 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

3. सदन की समिति के प्रतिवेदन:

- (1) श्री अनिल शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2024-25), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-
- (i) समिति के 137वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) पर बने 252वें कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण पर आधारित तथा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;
 - (ii) समिति के 138वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) पर बने 205वें कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण पर आधारित तथा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;
 - (iii) समिति के 286वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) पर बने 93वें कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण पर आधारित तथा योजना विभाग से सम्बन्धित है; और
 - (iv) समिति के 117वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) पर बने 48वें कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण पर आधारित तथा बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित है।

4. विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन:

कार्य-सलाहकार समिति का अष्टम् प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया जाएगा तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया जाएगा।

5. विधायी कार्य:

(I) सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

- (i) श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 15) का (विनियामक आयोग) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 7) और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

- (ii) श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 3) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
 ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 8)
 वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (iii) श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि ए पी जी (अखल प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 (2013 का अधिनियम संख्यांक 20) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
 ए पी जी (अखल प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 9)
 वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (iv) श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 23) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
 अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 10)
 वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (v) श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
 अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन), संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 11)
 वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(vi) श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 21) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन), संशोधन विधेयक, 2024
(2024 का विधेयक संख्यांक 12)

वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(vii) श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024
(2024 का विधेयक संख्यांक 13)

वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(viii) श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 3) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024
(2024 का विधेयक संख्यांक 14)

वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(ix) श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि दि इनस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंश्ल एनॅलिस्ट्स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 43) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
दि इनस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंश्ल एनॅलिस्ट्स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024
(2024 का विधेयक संख्यांक 15)

वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

- (x) श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 16) कि चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (xi) श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2010 का अधिनियम संख्यांक 1) इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 17) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (xii) श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 22) महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 18) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (xiii) श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमेंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमेंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 20) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (xiv) श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि कॅरिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(xv) श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि आई.ई.सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
आई.ई.सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 21)
वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(xvi) श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 22) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 22)
वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(xvii) श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 (2013 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 23)
वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(II) सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।
हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 6)
वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

- (ii) श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 (2012 का अधिनियम संख्यांक 33) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।
- हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2024
(2024 का विधेयक संख्यांक 26)
- वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

6. नियम-102 के अन्तर्गत सरकारी संकल्प:

- (1) श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रहेगी:

"यह सदन केन्द्र सरकार से पुरजोर सिफारिश करता है कि जिस प्रकार 2024-25 के बजट अभिभाषण में केन्द्र सरकार द्वारा तीन आपदा प्रभावित राज्यों क्रमशः सिक्किम, असम और उत्तराखण्ड के लिए बाढ़ प्रबन्धन और सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए अनुदान के रूप में सहायता दिए जाने की घोषणा की गई है उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी तीन राज्यों की तरह प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ है और केन्द्र सरकार हिमाचल प्रदेश को भी शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में सहायता राशि प्रदान करे।"

- (2) श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि:

"भांग के औषधीय एवं औद्योगिक उपयोग पर बना प्रतिवेदन जो दिनांक 22 सितम्बर, 2023 को सदन में उपस्थापित किया गया था, पर यह सदन विचार करे।"

7. गैर-सरकारी सदस्य कार्य:

"संकल्प"

(गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूची संलग्न है)

शिमला-171004

दिनांक: 04 सितम्बर, 2024

(यशपाल शर्मा)

सचिव।

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

गैर-सरकारी सदस्य कार्य

'संकल्प'

षष्ठम् सत्र

वीरवार, दिनांक 5 सितम्बर, 2024 को चर्चा हेतु लिए जाने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूची :

क्रम सं०	सदस्य का नाम	उद्धरण
1	श्री केवल सिंह पठानिया	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में वन संरक्षण अधिनियम तथा ईको टूरिज्म पॉलिसी को बढ़ावा देने बारे यह सदन नीति बनाने पर विचार करे।"
2	श्री विपिन सिंह परमार	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि समान नागरिक संहिता (UCC) व सहमति संबंध पर यह सदन नीति बनाने पर चर्चा करे"
3	श्री जीत राम कटवाल	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि भारतीय प्रजातन्त्र व कल्याणकारी राज्य में चिन्हित संवैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा विषमताओं के निवारण बारे यह सदन नीति बनाने पर विचार करे।"
4	श्री जीत राम कटवाल	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में श्रीमद्भगवद् गीता अनुसंधान पीठ स्थापित करने बारे यह सदन नीति बनाने पर विचार करे।"
दिनांक 29 अगस्त, 2024 को प्रस्तुत संकल्प पर आगे चर्चा होगी		
	श्री जीत राम कटवाल	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व व वन भूमि पर बने घरों और गौशालाओं के नियमितीकरण करने हेतु नीति बनाने पर विचार करे।"

सचिव,
हि० प्र० विधान सभा।

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

(षष्ठम् सत्र)

वीरवार, 05 सितम्बर, 2024/14 भाद्रपद, 1946(शक्) के लिए निर्धारित

"शुद्धिपत्र"

प्रश्न संख्या

शुद्धियां

अतारांकित प्रश्न

कुल प्रश्न-18

944

विलोप किया गया।

शिमला-171004

दिनांक: 04-09-2024

यशपाल 04/09/24
यशपाल शर्मा,
सचिव।